



Recruitment of Retired Staff as Concurrent Auditor for FY 2020-21

विषय : बैंक में संगामी लेखा परीक्षण (Concurrent Audit) कार्य हेतु बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III अथवा उससे अधिक ग्रेड के अधिकारियों की सेवायें लिया जाना

उपरोक्त विषय क्रम में पूर्ववर्ती पूर्वांचल बैंक और पूर्ववर्ती काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक की चयनित शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षण किये जाने हेतु पूर्ववर्ती बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक एवं काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III अथवा उससे अधिक ग्रेड के अधिकारियों की सेवाएं लिए जाने हेतु प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

पूर्ववर्ती पूर्वांचल बैंक की निम्नलिखित जनपदों में कार्यरत शाखाओं का समवर्ती लेखा परीक्षण का कार्य आगामी 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 हेतु किया जाना है -

औरैया	बलिया	बस्ती	देवरिया	इटावा
गोरखपुर	कुशीनगर	महराजगंज	संत कबीर नगर	सिद्धार्थ नगर

इसी प्रकार पूर्ववर्ती काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षण हेतु आगामी 01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों हेतु निम्नलिखित जनपदों में कार्यरत शाखाओं पर संगामी लेखा परीक्षा का कार्य निष्पादन की सेवाएं लिए जाने का निर्णय लिया गया है -

आजमगढ़	चंदौली	गाजीपुर	जौनपुर	मऊ
संत रविदास नगर	वाराणसी			

संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए पात्रता एवं अन्य शर्तें निम्नवत है :-

पात्रता :-

- बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III अथवा उससे अधिक ग्रेड के अधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
- सेवानिवृत्त अधिकारी जो अग्रिम कार्यक्षेत्र में पर्याप्त दक्षता रखते हो, CBS Platform पर कार्य हेतु सक्षम हो एवं शाखा प्रबंधक के रूप में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव रखते हो, के आवेदन पर विचार किया जायेगा।
- सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृत्ति की तिथि से प्रथम 05 वर्षों के दौरान संगामी लेखा परीक्षण हेतु 65 वर्ष की आयुसीमा तक पात्र होंगे। 65 वर्ष से अधिक आयुसीमा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके शारीरिक रूप से सक्षम होने एवं कार्य निपुणता का आधार पर विशेष परिस्थितियों में उनकी सेवाएं आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- सेवानिवृत्त अधिकारी को संगामी लेखा परीक्षा कार्य संपन्न करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम एवं आवंटित शाखा / (ओ) पर आवागमन हेतु समर्थ होना चाहिए।
- सेवानिवृत्त अधिकारी को, बैंक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त जनपदों के/ नजदीकी जनपद का निवासी होना चाहिए।
- बैंक द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी को निवास करने वाले जनपद / नजदीकी जनपद की शाखाएं आवंटित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।
- पूर्व में अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement), सेवा से हटाये गए (Removal from service) या बर्खास्त (Dismissal) सेवानिवृत्त अधिकारी इस उद्देश्य के लिए अयोग्य / अपात्र माने जायेंगे।
- सेवानिवृत्त अधिकारी के पास Laptop / Computer System की उपलब्धता आवश्यक है।



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

पारिश्रमिक :-

प्रति मास प्रति शाखा अनुमन्य पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत है :-

रु. 10 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 4000/- प्रति शाखा प्रति मास
रु. 10 करोड़ से अधिक परन्तु रु. 20 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 4500/- प्रति शाखा प्रति मास
रु. 20 करोड़ से अधिक अग्रिम अवशेष एवं जिला मुख्यालय की शाखायें	रु. 5000/- प्रति शाखा प्रति मास

• उक्त धनराशि पर देय टैक्स का नियमानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित / लागू है।

प्रति मास यात्रा व्यय का भुगतान निम्नवत विवरण के अनुसार किया जायेगा -

जिला मुख्यालय की शाखायें	रु. 500/- प्रति शाखा प्रति मास
मुख्यालय से 25 कि. मी. दूरी तक की शाखायें	रु. 1000/- प्रति शाखा प्रति मास
मुख्यालय से 25 कि. मी. से अधिक परन्तु 50 कि. मी. से अनाधिक की शाखायें	रु. 1500/- प्रति शाखा प्रति मास
मुख्यालय से 50 कि. मी. से अधिक दूरी की शाखायें	रु. 2000/- प्रति शाखा प्रति मास

- उपरोक्त पारिश्रमिक / यात्रा व्यय में, सभी आउट आफ पॉकेट व्यय, सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा आवंटित शाखा और / अथवा नियंत्रक कार्यालय पर भ्रमण और / अथवा आवश्यकता / अनुरोध पर संगामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी बैठको में भाग लेने हेतु किया गया स्थानीय व्यय सम्मिलित है।
- बैंक द्वारा वित्तपोषित ऋणी की परियोजना / यूनिट / गोदाम सहित बैंक के पक्ष में प्रभारित प्रतिभूतियों के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी के भ्रमण की व्यवस्था संगामी लेखा परीक्षण हेतु आवंटित शाखा द्वारा की जाएगी।
- संगामी लेखा परीक्षण के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी को पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा।
- मासिक पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान का अनुरोध, सम्बंधित मास हेतु संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित जाना चाहिए।
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु पारिश्रमिक हेतु पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान सम्बंधित संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा।

कार्यदायित्व:-

- संगामी लेखा परीक्षा करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी का मुख्य कार्य बैंक द्वारा लेनदेन के साथ - साथ आंतरिक जांच और अन्य सत्यापनो एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के प्रयासों में संपूरक की भूमिका निभाना है।
- संगामी लेखा परीक्षा का दायरा प्रयास रूप से बड़ा होना चाहिए जिससे उसमे नकदी की सार-संभाल, जमाराशियों, प्रतिभूतियों की सेफ कस्टडी, निवेशो, अतिदेय बिलों, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग, विविध और उच्चत खाते, अंतर शाखा मिलान, समाशोधन भिन्नताओ, ऋणपत्र और गारंटी जैसे तुलन पत्र से इतर मदें, ट्रेजरी कार्य और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय जैसे धोखाधड़ी की सम्भावना वाले क्षेत्र शामिल हो सके।
- संगामी लेखा परीक्षा का विस्तृत दायरा स्पष्ट और समान रूप से निर्धारित कर निम्नवत routine परिचालनात्मक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जिनसे सम्बंधित कवरेज की बिन्दुवार मदों का विवरण शाखा आवंटन के साथ सेवानिवृत्त अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा :-

Cash	Clearing	Remittances / Bills for Collection
Opening of Accounts	Security Forms	Issue of Chequebook
Deposits	Advances	Letter of Credit / Bank Guarantees
Housekeeping	Verification of Credit / Debit	Investment / treasury Operations
Others		

अन्य शर्तें :-

- इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त कर पात्र व्यक्तियों का चयन समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा और अंतिम रूप से चयनित सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध (empanel) किये जाने के उपरांत संगामी लेखा परीक्षण हेतु शाखाओं का आवंटन किया जायेगा।

शिविर कार्यालय : ए-1, सिविल लाइंस, रायबरेली-229001, टेलीफोन : 0535-2702075

Camp Office : A-1, Civil Lines, Raebareli-229001, Telephone : 0535-2702075

e-mail : ho@barodauprb.co.in



- सेवाकाल के दौरान जिन शाखाओं पर सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा कार्य किया गया है उन शाखाओं का आवंटन संगामी लेखा परीक्षा हेतु नहीं किया जायेगा।
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी का चयन (engagement) और शाखा आवंटन सामान्यतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा और आवंटित शाखा में परिवर्तन सहित या परिवर्तन के बिना अवधि विस्तारण संगामी लेखा परीक्षा कार्य सम्बन्धी कार्यनिष्पादन (performance) के दृष्टिगत बैंक के एकल विवेकाधिकार (sole discretion) के अधीन होगा।
- संगामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी सेवानिवृत्त अधिकारी के कार्य निष्पादन की समीक्षा आवंटित शाखा से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी।
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु आवंटित शाखा पर हो रहे लेनदेन में material omission अथवा commission के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी जिम्मेदार होगा। सेवानिवृत्त अधिकारी से बैंक के सर्वोत्तम हित में संगामी लेखा परीक्षण किये जाने की अपेक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके द्वारा संगामी लेखा परीक्षा के दौरान किये गए अवलोकन (observation) अस्पष्ट / विरोधाभासी (ambiguous) और / अथवा बैंक के नीतिगत मार्ग निर्देशों के विपरीत न हो तथा बैंकिंग में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अनदेखा न किया गया हो।
- संगामी लेखा परीक्षण करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी के कार्य में किसी प्रकार का गंभीर omission या commission एवं संगामी लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य निष्पादन और / अथवा तत्संबन्धी रिपोर्ट की गुणवत्ता संतोषजनक (up to mark) न पाए जाने पर सेवानिवृत्त अधिकारी का चयन किसी भी समय समाप्त किये जाने का एकल विवेकाधिकार (sole discretion) बैंक के पक्ष में सुरक्षित होगा।

संगामी लेखा परीक्षण कार्य करने के इच्छुक बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल – III अथवा उससे अधिक ग्रेड के अधिकारी संलग्न प्रारूप पर आवेदन प्रधान कार्यालय को प्रेषित करें। पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन पत्र बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 04-06-2020 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि 04-06-2020 के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत्त अधिकारी को चयन (engagement) सम्बन्धी साक्षात्कार की सूचना अलग से दी जाएगी। अंतिम रूप से चयन उपरांत सूचीबद्ध (empannel) सेवानिवृत्त अधिकारियों को चयन सम्बन्धी पत्र जारी किया जायेगा।

सभी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि इस परिपत्र / विषयवस्तु को सभी सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III अथवा उससे अधिक ग्रेड के अधिकारी की जानकारी में लाये एवं शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें। शाखाओं / कार्यालयों पर कार्यरत कार्मिकों के संज्ञान में भी इस परिपत्रों की विषयवस्तु लायी जाये जिससे वे अपने संपर्क में आने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को अवगत करा सकें और अधिकाधिक / इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी ग्रेड / स्केल III अथवा उससे अधिक ग्रेड के अधिकारी तत्संबन्धी आवेदन कर सकें।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)

महाप्रबंधक

संलग्नक- आवेदन पत्र का प्रारूप



**APPLICATION FORM FOR ENGAGEMENT OF RETIRED BANK OFFICER G/S – III &
ABOVE FOR CONCURRENT AUDIT**

1. Name (in block letters) : _____
2. Father's Name : _____
3. (a.) E. C. No. : _____
(b.) Mobile No. : _____
(c.) Email Id : _____
4. Last Grade/Scale : _____
5. Date of Birth : _____
6. Age as on 31.03.2020 : Years _____ Month _____ Days _____
7. Date of Joining in the Bank : _____
8. (a.) Last Place of Posting : Branch/Office _____ Region/HO _____
(b.) Permanent Address : _____
(c.) Present Address : _____

Date of Promotions

- (a) Officer Scale I to Officer Scale II : _____
- (b) Officer Scale II to Officer Scale III: _____
- (c) Officer Scale III to Officer Scale IV: _____
- (d) Officer Scale IV to Officer Scale V: _____

9. Qualification
(a.) (i) Educational : _____
(ii) Professional : _____
(b.) CAIIB/ JAIIB/ CAIIB-I/ CAIIB-II : _____
(c.) Computer Literacy : _____

10. Experience as Branch Manager (Separate sheet may be attached)

Name of Erstwhile RRB/Bank	Branch/ Office	From	To	Designation	Nature of Work

11. Disciplinary action initiated/
Punishment imposed by
the Bank in Past (If Any)
case to case basis separately: _____



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

12. Whether Sufering from any Major health Problem/Ailment: _____
13. Date of Retirement: _____
14. (a.) Details of engagement After retirement (If Any): _____
- (b.) Income derived thereof: _____

I declare that the information furnished above is true & correct

Date : _____
Place : _____

Signature of Applicant
Name : _____

FOR OFFICE USE ONLY